

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27 (308) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई/अभि./आंगनबाड़ी/ 2016-17

जयपुर, दि. 10.03.2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, भरतपुर, पाली,  
अजमेर, भीलवाडा, जयपुर, झुन्झुनू,  
बुंदी, कोटा, डूंगरपुर, चूरू, नागौर एवं उदयपुर।


**विषय:-** वर्ष 2007-08 में आयोजना मद के अन्तर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के विरुद्ध शेष रहे आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने एवं अपूर्ण रहने के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी नवीनतम प्रगति के सम्बन्ध में।

**प्रसंग:-** दिनांक 16.09.2016 तथा विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 07.12.2016, 13.01.2017, 16.01.2017, 24.01.2017 एवं 09.02.2017।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में **आयोजना मद** के अन्तर्गत जिलेंवार लक्ष्य आवंटित कर कार्यों को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक राशि जिला परिषद के पीडी खातों में हस्तान्तरित की गई थी (**प्रशा. एवं वित्तीय स्वी. दि. 21.11.2007**)। स्वीकृति के विरुद्ध निदेशालय, आईसीडीएस एवं जिलों से प्राप्त प्रगति सूचना के आधार पर अभी तक अहस्तान्तरित, प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण भिजवाते हुये पूर्ण केन्द्रों को तत्काल आईसीडीएस को हस्तान्तरित करने, प्रगतिरत कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करने एवं अप्रारम्भ केन्द्रों की स्वीकृति निरस्त करने एवं अपूर्ण रहने के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही एवं नवीनतम प्रगति एवं वस्तुस्थिति स्पष्ट कराने बाबत प्रांसगिक पत्र दिनांक 09.02.2017 द्वारा निर्देशित किया गया था (विवरण पुनः संलग्न)। इस सम्बन्ध में आपके स्तर से की गई कार्यवाही एवं नवीनतम सूचना आदिनांक तक अप्राप्त रही है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि जिला परिषद जयपुर एवं उदयपुर से पूर्व के प्रांसगिक पत्रों के सम्बन्ध में बार-बार स्मरण करवाने के उपरान्त भी वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई, जो कि खेद जनक है।


इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि:-

1. पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों को तत्काल विभाग को हस्तान्तरित करवाया जावें।
2. प्रगतिरत आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर करवाया जावें।
3. अप्रारम्भ आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करवाया जावें।
4. निर्माण कार्य अबतक अपूर्ण रहने के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से सूचित करें।
5. नवीनतम प्रगति निर्धारित प्रपत्र में ई-मेल [pdengg\\_rdd@yahoo.com](mailto:pdengg_rdd@yahoo.com) पर भिजवावें (पुर्व पत्र दिनांक 16.01.2017)।

  
(राजीव सिंह ठाकुर)  
शासन सचिव, ग्रावि

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, 2, जल पथ, गांधीनगर, जयपुर।
- 3 जिला कलक्टर, भरतपुर, पाली, अजमेर, भीलवाडा, जयपुर, झुन्झुनू, बुंदी, कोटा, डूंगरपुर, चूरू, नागौर एवं उदयपुर राजस्थान।
- 4 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर, पाली, अजमेर, भीलवाडा, जयपुर, झुन्झुनू, बुंदी, कोटा, डूंगरपुर, चूरू, नागौर एवं उदयपुर राजस्थान।
- 5 उपनिदेशक, महिला बाल विकास विभाग, जिला भरतपुर, पाली, अजमेर, भीलवाडा, जयपुर, झुन्झुनू, बुंदी, कोटा, डूंगरपुर, चूरू, नागौर एवं उदयपुर राजस्थान।

  
अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

परिशिष्ट 'अ'

वित्तीय वर्ष 2007-08 में आयोजना मद में स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण की वर्तमान स्थिति (निदेशालय आईसीडीएस से 08.02.2017 तक प्राप्त सूचना एवं जिला परिषदों से प्राप्त नवीनतम प्रगति/सूचना के अनुसार, )

जिला	आईसीडीएस को अभी तक स्थान्तरित नहीं किया गया केन्द्रों की संख्या	अभी भी प्रगतिरत आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या, इन्हे तत्काल पूर्ण करवाया जाना है एवं अपूर्ण के लिए दो	आंगनबाडी केन्द्र जो अभी तक प्रारम्भ नहीं हुये है	विशेष विवरण (पत्र 07.12. 2016, 13.01. 2017, 16.01. 2017, 24.01. 2017 के उपरान्त)
भरतपुर		8		
पाली		5	6	
अजमेर			1	
भीलवाडा	1			
जयपुर		37		सूचना अप्राप्त
बूंदी		4		
डूंगरपुर			2	
कोटा		46		
चुरू			6	
झुंझनु	2			
उदयपुर		1	3	सूचना अप्राप्त
नागौर			8	
कुल	3	98	26	